लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: *460
जिसका उत्तर बुधवार, 02 अप्रैल, 2025 को दिया जाएगा

मानक मंथन पहल

***460. डॉ. निशिकान्त दुबे:**

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा उद्योगों में और कार्यसथलों पर बीआईएस प्रमाणित सुरक्षा उत्पादों को व्यापक रूप से अपनाया जाना सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है;
(ख) श्रमिक सुरक्षा मानकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके कार्यान्वयन में मानक मंथन पहल की क्या भूमिका है;
(ग) श्वसन संबंधी सुरक्षा, गिरने से बचाव और अग्नि से सुरक्षा से जुड़े मानकों, जिन पर नए तरीके से विचार-विमर्श किया गया है, से व्यवसायगत स्वास्थ्य और सुरक्षा में किस प्रकार वृद्धि होने की संभावना है; और
(घ) सरकार द्वारा उद्योग और निर्माण क्षेत्रों में बीआईएस सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री
(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

"मानक मंथन पहल" के संबंध में माननीय सांसद डॉ. निशिकान्त दुबे द्वारा दिनांक 02.04.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *460 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (घ): भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) भारत में उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है। बीआईएस द्वारा तैयार किए गए भारतीय मानक उत्पाद प्रमाणन स्कीमों के लिए आधार के रूप में काम करते हैं, तथा उपभोक्ताओं को उत्पाद की गुणवत्ता का तृतीय-पक्ष आश्वासन प्रदान करते हैं। देश की गुणवत्ता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए, भारत सरकार ने विभिन्न गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) जारी किए हैं, जो उद्योगों और निर्माण क्षेत्रों सहित विभिन्न उत्पादों के लिए बीआईएस प्रमाणन को अनिवार्य बनाते हैं। बीआईएस अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत, अनिवार्य बीआईएस प्रमाणन के लिए उत्पादों को भारत सरकार के संबंधित विनियामक/मंत्रालय द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) के माध्यम से विभिन्न विचारों जैसे सार्वजनिक हित, मानव, पशु या पौधे के स्वास्थ्य की सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा, अनुचित व्यापार प्रथाओं की रोकथाम और राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत अधिसूचित किया जाता है। क्यूसीओ जारी करने के माध्यम से, अधिसूचित उत्पाद सुरक्षा मानक सहित प्रासंगिक भारतीय मानक की आवश्यकताओं के अनुरूप होंगे और इन उत्पादों के निर्माताओं को अनिवार्य रूप से बीआईएस से प्रमाणन प्राप्त करना होगा। अब तक भारत सरकार के विभिन्न विनियामकों/संबंधित मंत्रालयों द्वारा 769 उत्पादों को कवर करने वाले कुल 187 गुणवत्ता नियंत्रण आदेश बीआईएस के अनिवार्य प्रमाणन के लिए अधिसूचित किए गए हैं, जिनकी सूची https://www.bis.gov.in/product-certification/products-under-compulsory-certification/ पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, उत्पादों के सुरक्षा पहलुओं के लिए विशेष रूप से निम्नलिखित दो क्षैतिज क्यूसीओ भी भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए हैं:

i. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा घरेलू, वाणिज्यिक और इसी तरह के विद्युत उपकरणों की सुरक्षा (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 जारी किया गया। क्यूसीओ के माध्यम से, घरेलू, वाणिज्यिक या इसी तरह के अनुप्रयोगों के लिए सभी विद्युत उपकरण, जिनकी रेटेड वोल्टेज 250 वोल्ट एकल फेज प्रत्यावर्ती धारा या 415 वोल्ट तीन फेज प्रत्यावर्ती धारा से अधिक नहीं है और जो भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम के तहत जारी किसी अन्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के दायरे में नहीं आते हैं, बीआईएस के अनिवार्य प्रमाणन के अंतर्गत आते हैं।
ii. भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी मशीनरी और विद्युत उपकरण सुरक्षा (सर्वव्यापी तकनीकी विनियमन) आदेश, 2024. क्यूसीओ के माध्यम से, मशीनरी और विद्युत उपकरणों की 20 श्रेणियों और उनकी उप-असेंबली/घटकों को बीआईएस के अनिवार्य प्रमाणन के अंतर्गत शामिल किया गया है।

(ख): बीआईएस के शाखा कार्यालयों ने ग्वालियर, हैदराबाद, चंडीगढ़, हुबली, चेन्नई, देहरादून जैसे विभिन्न शहरों में कार्यस्थल पर श्रमिक सुरक्षा विषय पर मानक मंथन आयोजित किया है। इन सत्रों ने कार्यस्थल पर सुरक्षा प्रथाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकारी निकायों, उद्योगों और मानक संगठनों सहित हितधारकों के बीच चर्चा को सुविधाजनक बनाया और श्रम सुरक्षा मानकों के बारे में जागरूकता बढ़ाई और उनके कार्यान्वयन को बढ़ावा दिया।

(ग): कार्यस्थल सुरक्षा व्यावसायिक स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो कर्मचारियों की भलाई सुनिश्चित करता है और उन जोखिमों को कम करता है जो चोट या मृत्यु का कारण बन सकते हैं। नए विकसित सुरक्षा मानकों का परिचय और उनका पालन कार्यस्थल के खतरों को कम करने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश प्रदान करता है। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने समग्र व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा (ओएचएस) को बढ़ाने, श्रमिकों की सुरक्षा और सुरक्षित कार्य वातावरण को बढ़ावा देने के लिए श्वसन सुरक्षा, गिरने से बचाव और अग्नि सुरक्षा पर विभिन्न भारतीय मानक स्थापित किए हैं।

i. **श्वसन सुरक्षा मानक और व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा में उनकी भूमिका**: खनन, निर्माण, रासायनिक प्रसंस्करण और स्वास्थ्य सेवा जैसे उद्योगों में श्वसन सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, जहां श्रमिक हानिकारक वायुजनित प्रदूषकों के संपर्क में आते हैं। श्वसन सुरक्षा उपकरणों के लिए भारतीय मानक (आईएस) यह सुनिश्चित करते हैं कि श्रमिक को उच्च गुणवत्ता वाले सुरक्षात्मक उपकरण उपलब्ध हों, जिससे श्वसन संबंधी बीमारियों का जोखिम कम हो। श्वसन सुरक्षा में प्रमुख भारतीय मानक निम्नानुसार हैं:

1. आईएस 9473: 2002– श्वसन सुरक्षात्मक उपकरण – कणों से सुरक्षा के लिए फ़िल्टरिंग अर्ध मास्क।
2. आईएस 14166: 1994– श्वसन सुरक्षात्मक उपकरण – सेल्फ कंटेन्ड ओपन-सर्किट कंप्रेस्ड वायु श्वास उपकरण।
3. आईएस 14746: 1999– श्वसन सुरक्षात्मक उपकरण – सेल्फ कंटेन्ड क्लोज़-सर्किट कंप्रेस्ड वायु श्वास उपकरण।
4. आईएस 15803: 2008– श्वसन सुरक्षात्मक उपकरण – हेलमेट या हुड युक्त संचालित फ़िल्टरिंग उपकरण।
5. आईएस 10245 (भाग 1): 1996– श्वसन सुरक्षात्मक उपकरण – सेल्फ कंटेन्ड श्वास उपकरण।
6. आईएस 10245 (भाग 2): 2023– औद्योगिक एवं अग्निशमन सेल्फ कंटेन्ड श्वास उपकरण।
7. आईएस 10245 (भाग 3): 1999– श्वसन सुरक्षात्मक उपकरण – रासायनिक ऑक्सीजन उपकरण.
8. आईएस 10245 (भाग 4): 1982– श्वसन सुरक्षात्मक उपकरण – औद्योगिक और खनन ऑक्सीजन श्वासयंत्र।

ii. **गिरने से बचाव के मानक और व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा में उनकी भूमिका**: ऊंचाई से गिरना कार्यस्थल पर होने वाली मौतों और चोटों का एक प्रमुख कारण है। आईएस 3521 श्रृंखला निर्माण, विनिर्माण और गोदाम जैसे उद्योगों में जोखिमों को कम करने के लिए व्यक्तिगत गिरने से सुरक्षा प्रणालियों पर दिशानिर्देश प्रदान करती है। गिरने से बचाव के लिए प्रमुख भारतीय मानक इस प्रकार हैं:

1. आईएस 3521 (भाग 1): 2021 – पूर्ण शरीर हार्नेस।
2. आईएस 3521 (भाग 2): 2021– लैन्यर्ड्स और ऊर्जा अवशोषक।
3. आईएस 3521 (भाग 3): 2000 – सेल्फ रिट्रैक्टिंग लाइफलाइन्स।
4. आईएस 3521 (भाग 4): 2021– ऊर्ध्वाधर एंकरेज सिस्टम।
5. आईएस 3521 (भाग 5): 2021 – क्षैतिज एंकरेज सिस्टम।
6. आईएस 3521 (भाग 7): 2021 – कनेक्टर्स।
7. आईएस 3521 (भाग 8): 2021 – बचाव उपकरण।
8. आईएस 3521 (भाग 9): 2021 – एंकरेज डिवाइस

iii. **अग्नि सुरक्षा मानक और व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा में उनकी भूमिका**: आग कार्यस्थल की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है, खासकर ज्वलनशील पदार्थों को संभालने वाले उद्योगों में। सख्त अग्नि सुरक्षा मानकों के कार्यान्वयन से यह सुनिश्चित होता है कि श्रमिकों को जलने, धुएँ के साँस में जाने और आग से संबंधित अन्य खतरों से पर्याप्त रूप से बचाया जाए। अग्नि सुरक्षा में प्रमुख भारतीय मानक इस प्रकार हैं:

1. आईएस 16890: 2024 – अग्निशमन सूट।
2. आईएस 16874: 2018 – अग्निशमन दस्ताने।
3. आईएस 15683: 2018 – अग्नि शामक।
4. आईएस 2745: 1983 - अग्निशमन कर्मियों और नागरिक सुरक्षा कर्मियों के लिए गैर-धातु हेलमेट
5. आईएस 18582 (भाग 6): 2024 - अग्निशमन कर्मियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले जूते

*****